© 2017 IJSRSET | Volume 3 | Issue 3 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section : Education

भाषा में संरक्षित संस्कृति के तत्त्व

Priyanka Srivastava

Research Scholar, JNU, New Delhi, India

सार – समाज व्यवस्था के सभी वैचारिक कार्य भाषा द्वारा संपन्न होते हैं। यह समाज के लोगों के बीच संपर्क का साधन है। इस संपर्क के साधन का उपयोग समाज में मुख्य रूप से बात चीत, भावाभिव्यक्ति तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए होता है। मनुष्य भी समाज में रहता है। वह समाज में अपने अनुभव, भावना तथा विचार को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करता है। ऐसे में भाषा समाज में सिर्फ संपर्क स्थापित करने में सहायक नहीं होती, बल्कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों को बनाने तथा बताने में भी सहयोग देती है। इसलिए भाषा की आवश्यकता समाज में रहती है। भाषा का जुड़ाव भी अपने समाज से होता है। किसी भी भाषा की भाषा व्यवस्था, अक्षर, शब्द, वाक्य, छंद, मुहावरे इत्यादि, उसके समाज और संस्कृति से निर्मित होते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा और संस्कृति होती है। समाज के विकास के साथ भाषा तथा संस्कृति का विकास भी होता है। भाषा को संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। ये दोनों एक-दूसरे में समाहित होते हैं। इन दोनों को अलग करके देखना मुश्किल होता है। जहां संस्कृति समाज के मूल्य, विश्वास, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान आदि से बनती है, जो भाषा को आकार देती है। वहीं भाषा संस्कृति को मौखिक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। भाषा द्वारा ही संस्कृति को समझा या अनुभव किया जाता है। भाषा में संस्कृति तथा उसका समाज जीवित रहता है। इसलिए मनुष्य जिस भाषा के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति करता है, उससे संस्कृति परिलक्षित होती है। ऐसे में उपयोगकर्ता द्वारा अपनी भाषा की उपेक्षा, उनकी सामूहिक संस्कृति की उपेक्षा है, क्योंकि भाषा के उपयोग से ही संस्कृति संरक्षित तथा गतिशील होती है। भाषा का उपयोग बंद करना, एक समाज को ख़त्म करना होता है।

भाषा समाज का जटिल व्यापार है। दिन-प्रतिदिन की बात चीत के दौरान मनुष्य अपनी भाषा का उपयोग विभिन्न प्रकार से करता है। लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि भाषा को किस प्रकार से परिभाषित करना चाहिए? आम व्यक्ति के विचार को कैसी संज्ञा देनी चाहिए? ऐसे में भाषा शब्द का अर्थ विचार की अभिव्यक्ति से लिया जाता है। किसी भी विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। लोग प्रायः कहते हैं कि उन्हें अपने विचार या भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द नहीं मिल पा रहे हैं या वे सही शब्दों की तलाश कर रहे हैं। प्रायः अपने भाषा प्रयोग के बाद राजनीतिज्ञ कहते हुए मिलते हैं कि मीडिया ने उनकी बातों का गलत मतलब निकाला है। सामूहिक जीवन के सामान्य व्यवहार में इस तरह के जुमले अकसर कहे जाते हैं। दो लोगों के बीच समझौता असफल होने पर भी यह कहा जाता है कि हमने जो बातें कही वह समझ नहीं पाए, या उनकी भाषा मेरे समझ में नहीं आई। ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि भाषा को अकसर दैनिक जीवन का विषय माना जाता है। स्कूल में भाषा को कौशल के दृष्टिकोण से देखा जाता है। भाषा को साहित्य, कला, संगीत एवं

संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों में भी स्वीकार किया जाता है। इस वैविध्य में भाषा को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है।

मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसे वैचारिक विनिमय करने पड़ते हैं। सामाजिक संबंध भी बनाने पड़ते हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए वह विभिन्न प्रकार से संवाद करता है। इन सभी संवाद या भावाभिव्यक्ति के लिए वह कभी शब्दों, वाक्यों या ध्वनियों का उपयोग करता है, तो कभी आंखे दिखाकर, भौहें सिकोड़कर, मुंह बनाकर, नृत्य की मुद्राओं, मूक अभिनय इत्यादि का उपयोग करता है। शादी में निमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र, वैवाहिक कार्यक्रमों में चावल, हल्दी, गुड़ देना, रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना तथा अन्य प्रतीकों द्वारा भी संवाद किया जाता है। ये सभी तरीके भाषा के ही स्वरूप होते हैं। बहुत बार कुछ पूर्व निश्चित स्वाद और गंधों द्वारा भी संवाद किया जाता है। स्वाद और गंध द्वारा संवाद स्थापित करने के संदर्भ में भोलानाथ तिवारी (2014) कहते हैं कि यदि पहले से निश्चित कर लिया जाए तो स्वाद या गंध द्वारा भी अपनी बात कही जा सकती है। उदाहरण के लिए चाय पिलाऊं तो समझ जाना कि समय नहीं है, काम नहीं करूंगा। यदि मेरे कमरे में गुलाब की अगरबत्ती जलती मिले तो समझ जाना कि तुम्हारा काम हो गया है। (पृ. 1)[1] इससे स्पष्ट है कि इंद्रियों के माध्यम से भी बात चीत की जा सकती है। ये सभी भाषा के ही स्वरूप हैं। ऐसे में भाषा के अंतर्गत शारीरिक मुद्राओं, संकेतों तथा प्रतीक व्यवस्था को भी शामिल किया जाता है। लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भाषा के अंतर्गत इन प्रतीकों, मुद्राओं तथा भाव भंगिमाओं को शामिल नहीं करता है। वह भाषा को उच्चारित, यादृच्छिक एवं सार्थक शब्दों एवं शब्द प्रतीकों में ही स्वीकार करता है। ऐसे में भाषा किसी भी प्रतीक व्यवस्था के अक्षर, शब्दों, वाक्यों तथा ध्वनियों की व्यवस्था होती है, जिसमें किसी भाव, विचार तथा वस्तु को वर्णित किया जाता है।

प्रायः भाषा का उपयोग प्रमुख रूप से मनुष्य के वैचारिक क्रिया कलापों के लिए होता है। इन वैचारिक क्रिया कलापों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की ध्वनि, प्रतीक, शब्द तथा वाक्य जैसे तत्त्वों का उपयोग भाषा व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। भाषा व्यवस्था के ये सभी तत्त्व मनुष्य के सम्पूर्ण भाव को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए मनुष्य समाज के संप्रेषण का सर्वाधिक उपयोगी साधन भाषा को माना गया है। भाषा की इसी विशिष्टता के कारण मनुष्य के शिक्षा, धर्म, दर्शन तथा ज्ञान-विज्ञान आदि के सभी वैचारिक गतिविधियों को विस्तार मिला है। इससे मनुष्य ने पढ़ना-लिखना, समझना तथा भावाभिव्यक्ति इत्यादि को जाना है।

भाषा स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक इकाई है। यह समाज में फैलती तथा विकसित होती है। मनुष्य अपने विविध प्रयोगों द्वारा भाषा का विकास करता है तथा भाषा भी मानव सभ्यता के विकास में योगदान देती है। इसलिए रामविलास शर्मा (2017) कहते हैं कि "अधिकांश भाषाविज्ञान के पंडित भाषा को ईश्वर कृत नहीं मानते। वे प्रकृति एवं समाज के अन्य तत्त्वों की तरह इसे भी विकासमान स्वीकार करते हैं" (पृ. 9)।[2] अर्थात मनुष्य ने अपने शारीरिक बनावट तथा पशु भिन्न परिस्थितियों में भाषा का विकास किया था तथा बौद्धिक क्षमता मनुष्य की भाषा विकास के पीछे महत्त्वपूर्ण कारण था। इसी बौद्धिक क्षमता द्वारा मनुष्य ने अपने शुरुआती ध्वनियों को परिमार्जित कर भाषा को स्वरूप दिया। धीरे-धीरे भाषा को

[1] तिवारी, भोलानाथ (2014). भाषा-विज्ञान. इलाहाबाद : किताब महल.

[2] शर्मा, रामविलास (2017). *भाषा और समाज*. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.

और विकसित स्वरूप दिया। इसके पश्चात भाषा के इस स्वरूप द्वारा मनुष्य ने अपनी भावाभिव्यक्ति को स्वरूप दिया। भाषा के विकसित स्वरूप द्वारा ही मनुष्य अपने पूर्वजों के इतिहास, ज्ञान तथा संस्कृति को संरक्षित करते आया है। लेकिन अन्य प्राणी बौद्धिक क्षमता के अभाव के कारण अपनी ध्वनियों को विकसित नहीं कर पाए।

प्रत्येक भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। "ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्र ग्राह्य, कर्ण ग्राह्य और स्पर्श ग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्ण ग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है" (तिवारी, 2017, पृ. 1)।[3] ऐसे में भाषा एक यादृच्छिक उच्चरित प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। इसमें सभी प्रतीक एक विशेष व्यवस्था के तंत्र हैं। इन प्रतीकों के अर्थ निश्चित होते हैं। लेकिन इनका उपयोग भावों के आधार भी किया जाता है। प्रत्येक भाषा को उसकी संरचना के आधार पर संदेश में परिवर्तित करके अभिव्यक्ति की जाती है। ऐसे में भाषा के भौतिक स्वरूप तथा अर्थ स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे से संबंधित होते हैं। ये संबंध यादृच्छिक होते हैं। जैसे- कुत्ता शब्द का प्रयोग करने पर कोई निश्चित तरीका नहीं कि इसे पहचाना जाए। इसे केवल देखा तथा कहा जा सकता है। भाषा के दो आयाम होते हैं। पहला आंतरिक जो कि उसके अर्थ से जुड़ा होता है तथा दूसरा वाह्य जो उसके अर्थ की अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। इसलिए जब भाषा बोली जाती है तो शब्दों के उपयोग दिमाग में किसी विचार के बाहरी प्रतीक को बताते हैं। प्रत्येक भाषा की विशेषता यादृच्छिक, सृजनात्मक, अनुकरण, ग्रहात्मक, परिवर्तनशील तथा द्वैत होती है। और "भाषा व्यष्टि चेतना तथा समष्टि चेतना का परिणाम होती है" (पाण्डेय, 2012, पृ. 33)।[4] इस प्रकार भाषा अर्थपूर्ण ध्वनियों और प्रतीकों के माध्यम से वस्तु, भाव, अनुभव तथा अन्य वैचारिक क्रिया को संप्रेषित करती है।

भाषा की उपस्थिति मानव विकास के आरंभिक समय से ही रही है। हालांकि भाषा अपने प्राथमिक चरण में मौखिक थी लिखित नहीं। लेखन साधन के विकास तथा उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने भाषा के लिखित स्वरूप द्वारा ज्ञान का विस्तार किया। इस प्रक्रिया में भाषा की चित्रात्मक मूल्य खो गए तथा वह अपने प्राचीन स्वरूप से विकसित हो गई। आगे चलकर उच्चरित ध्वनि का संगठन तथा लिखित प्रतीक एक दूसरे में समाहित हो गए। इससे अर्थ की उत्पत्ति हुई और फिर मौखिक भाषा में अक्षर के लिए विशेष प्रतीक निश्चित हुए। धीरे-धीरे भाषा व्यवस्था के नियम के अनुसार भाषा का उपयोग होने लगा। भाषा का मौखिक स्वरूप मस्तिष्क के आंतरिक विचार या भाव के प्रतीक होते हैं तथा लिखित भाषा इन ध्वनियों के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में लिखित भाषा प्रतीक की प्रतीक मानी गई है। भाषा के लिखित स्वरूप तथा मौखिक स्वरूप की तुलना करने पर लिखित स्वरूप को मौखिक से ज्यादा महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि लिखित स्वरूप में समाज तथा संस्कृति के दस्तावेज़, मूल्य, परंपरा, दर्शन तथा ज्ञान इत्यादि ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। मौखिक भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति के लिए आंख तथा हाथ आदि का सहारा भी लेना पड़ता है, ताकि उसके द्वारा अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो जाए। लिखित भाषा में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मौखिक भाषा में श्रोता भाषण देने वाले व्यक्ति की गति के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाता है, जबकि लिखित भाषा में व्यक्ति अपनी भाषा समझ के अनुसार लिखित भाषा के साथ अनुकूलन स्थापित करता है।

भाषा के महत्त्वपूर्ण स्वरूप विकासवादी होते हैं। यह कभी स्थिर नहीं होते। उदाहरणार्थ शब्द के उच्चारण, व्याकरण तथा उपयोग किसी भी भाषा में बदलते रहते हैं। भाषा उपयोग में न लाए जाने पर विलुप्त भी हो जाती है। इस विलुप्ति का कारण भाषा के मानसिक तथा सामाजिक उपार्जन के रूप को संरक्षित रखने में सहयोग न देना होता है। "यदि समुदाय अपनी

[3] तिवारी, भोलानाथ (2014). भाषा-विज्ञान. इलाहाबाद : किताब महल.

[4] पाण्डेय, कैलाशनाथ (2012). *भाषा विज्ञान रसायन.* इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन.

मानसिकता को बदलता है, तो भाषा के प्रतीक अपने मूल्य को बदलते हैं या खो देते हैं" (पेई, 1964, पृ. 4)।[5] भाषा तब संरक्षित एवं अर्थपूर्ण बनती है, जब समुदाय एवं अन्य लोग इसे स्वीकार करना निश्चित करते हैं। भाषा मनुष्य के व्यवहार का विषय है। यह विशेषता उसे जन्मजात नहीं मिलती बल्कि मनुष्य को इसे सीखनी पड़ती है। वह अपने स्वाभाविक ज्ञान से इसे सीखता है। इसलिए भाषा को मानव मनोप्रवृत्ति का अंग माना जाता है, जो मानव व्यवहार का सार होता है।

भाषा के बिना मनुष्य अपने विचार तथा वर्तमान जीवन शैली को विकसित नहीं कर पाता। अपने पूर्वजों की सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान की विरासत के तमाम भंडार सुरक्षित नहीं रख सकता था। भाषा द्वारा ही मनुष्य के विचारों का उत्पादन तथा संरक्षण होता रहा है। मानव संवाद में इसका विशेष महत्त्व है। विशेषकर याद करने तथा ज्ञान को आगे ले जाने की क्षमता में। भाषा विभिन्न प्रकार की जटिल अवधारणाओं की अभिव्यक्ति में सहायक होती है। इसलिए प्राग प्रयोजनमूलक भाषा विज्ञान के विद्वानों ने माना कि भाषा भिन्न-भिन्न सामाजिक संदर्भों में विभिन्न प्रकार की शैली का उपयोग करती है। रोमन याकोब्सन के अनुसार भाषा का कार्य अभिव्यक्ति करना है। इन्हों ने भाषा के छः कार्य बताए हैं। अमेरिकी सामाजिक मोवैज्ञानिक क्रेच ने भाषा के तीन प्रयोजनों का वर्णन किया है। जबकि ब्रिटिश भाषा वैज्ञानिक हैलिडे ने भाषा के सात प्रयोजन बताए हैं। अर्थात प्रयोजन के दृष्टिकोण से भाषा के विभिन्न कार्य हैं। इसका उपयोग वक्ता अपनी आवश्यकता पूरी करने वाले साधन की तरह करता है। याकोब्सन, क्रेच तथा हॉलिडे के समन्वय से यहां भाषा प्रयोजन की कुछ कोटियों का उल्लेख प्रासंगिक होगा-

माध्यम स्वरूप भाषा

भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने अनुभव, विचार और कल्पना को अभिव्यक्त करता है। भाषा प्रयोजन के इस रूप का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। सूचना का उत्तर या सूचना प्राप्त करने का आग्रह करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। भाषा के इस स्वरूप को क्रेच ने संप्रेषण का प्रमुख साधन माना है। हॉलिडे (1975) इसे प्रतिनिधि भाषा स्वरूप कहते हैं। भाषा के इस स्वरूप द्वारा तथ्य और जानकारी प्राप्त की जाती है।

नियामक भाषा

हॉलिडे ने कहा कि भाषा का उपयोग लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। क्रेच ने भाषा को सामाजिक समूह की प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाली कार्य का साधन कहा। यकोब्सन ने भी भाषा का प्रभावित करने का कार्य बताया है। इस प्रकार दूसरों को निर्देशित या अनुरोध करने या प्रार्थना करने के लिए जो भाषा उपयोग की जाती है वह नियामक भाषा होती है।

सामाजिक जीवन के घटक स्वरूप भाषा

इस रूप में भाषा का उपयोग सामाजिक सम्बन्धों को बनाने या उन्हें तोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ मनुष्य लोगों से मिलता है तो नमस्ते या हेल्लो कह कर जान पहचान बनाता है। प्रेम, स्नेह तथा सम्मान के लिए वो भाषा का उपयोग करता है। इससे मनुष्य के संबंध बनते हैं। वहीं मुझे तुमसे नफरत है तथा अपनी सकल मुझे मत दिखाना ऐसे भाषाओं द्वारा मनुष्य संबंधों को तोड़ता भी है।

व्यक्तिगत पहचान के रूप में भाषा

[5] Sa3id, A. (n.d.). Importance of Language in Society. *Academia. edu*, pp. 1-40. Retrieved from https://www.academia.edu/24025265/Chapter_I_IMPORTANCE_OF_LANGUAGE_IN_SOCIETY.

भाषा किसी भी चीज को पहचान देती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज की संस्कृति को दर्शाती है। भाषा का उपयोग वक्ता अपनी पसंद या पहचान को बताने के करता है। भाषा द्वारा ही प्रत्येक राष्ट्र को अपने नाम मिले हैं। किसी राष्ट्र विशेष की भाषा से ही उसकी संस्कृति को पहचानते हैं।

अनुमानिया (Heuristic) भाषा (हॉलिडे)

वातावरण तथा परिस्थितियों को सीखने और तलाशने के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए- बच्चा जब भाषा सीखता है तो भाषा के इसी स्वरूप का उपयोग करता है।

कल्पनाशील भाषा (हॉलिडे)

अपनी कल्पनाओं का पता लगाने या अनुभव को बताने के लिए भाषा के इसी स्वरूप का उपयोग किया जाता है। बच्चे खेलते वक्त अपनी काल्पनिक दुनिया की कहानी बताते हैं और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं।

स्पष्ट है कि भाषा वह सुविधा है, जो मनुष्य के संवाद, बात चीत, मेल-मिलाप में आवश्यक होती है। ऐसे में भाषा को कुछ कार्यों में समेटना उपयुक्त नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव से भाषा के अलग-अलग कार्य हैं। जो मानवीय सुविधा तथा मनुष्यों के बीच अर्थपूर्ण संदेश या विचार को विनियमित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

मनुष्य की श्रेष्ठता तथा विशेषता को बताने के लिए पशु तथा अन्य जीवों से उसकी तुलना की जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, क्योंकि उसके पास बुद्धि तथा तर्क करने का हुनर है। भाषा इस हुनर में सहायक होती है। लेकिन मनुष्य ने तर्क तथा भाषा का विकास जिन आकांक्षाओं को लेकर किया उसके पीछे संस्कृति ही थी। संस्कृति प्रकृति के उलट होती है। प्रकृति जैविक तरीके से जन्मी तथा विकसित हुई तत्त्व है। जिन तत्त्वों को विकसित तथा तैयार किया जाता है वह संस्कृति है। संस्कृति का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो मनुष्य के पूर्वजों तथा पुरखों द्वारा सीखने को मिलती है। एक पीढ़ी अपने पूर्वजों से जो कुछ भी सीखती है। उसे अपने अनुभव से बढ़ाती है तथा आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित करती है। इसे ही संस्कृति कहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि संस्कृति सदैव अपने जड़ों में वापस लौटती है तो आप उसके अर्थ को नहीं समझा पा रहे हैं। मेरे विचार से संस्कृति रास्ते की तरह है। जिस तरह विभिन्न रास्तों से लोग यात्रा करते हैं। वैसे संस्कृति भी चलती, घूमती, विकसित, बदलती तथा विस्थापित होती है।(हॉल) इसलिए संस्कृति एक अर्जित तत्त्व है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित होती है।

संस्कृति ज्ञान, लोककथाओं, नियमों, अनुष्ठानों, आदतों, जीवन शैली, दृष्टिकोण, विश्वासों और रीति-रिवाज से संबंधित होती है। संस्कृति समाज के विशेषताओं के जड़ों का नाम है, जो समाज में गहराई से जुड़ीं तथा समग्र रूप में उपस्थित रहती है। किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज में लंबे समय तक अपनाई गई जीवन-शैली या पद्धति के परिणाम से होता है। संस्कृति जीवन जीने का तरीका है। मनुष्य जिस प्रकार खाता एवं कपड़े पहनता है। जिस शैली में भाषा बोलता एवं धार्मिक नियम के साथ पूजा-पाठ करता है। वह उसकी संस्कृति होती है। मनुष्य के खाने-पीने, सोने, जगने, बात चीत का तरीका, मूल्य, परम्पराएं, नैतिक नियम तथा व्यक्तिगत बोध इत्यादि संस्कृति द्वारा बनते हैं। साधारण शब्दों में संस्कृति अमूर्त रूप में उपस्थित है। जिसमें मनुष्य चीजों के बारे में सोचता तथा क्रिया करता है। संस्कृति एक ऐसी तत्त्व है, जो मनुष्य को समाज का सदस्य होने के नाते विरासत में मिलती है। जिसे मनुष्य अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र से ग्रहण करता है। संस्कृति के द्वारा व्यक्ति के विचार तथा आचार निर्धारित होते हैं। यह एक अमूर्त तथा अभौतिक भावाभिव्यक्ति होती है।

प्रत्येक व्यक्ति पैदा होते ही किसी संस्था या समूह का सदस्य होता है। ऐसे में उसकी संस्कृति भी पैदा होते ही निर्धारित हो जाती है। जिसके प्रभाव में वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हिंदू-मुस्लिम पद्धति से विवाह, दीपावली मनाना, मंदिर-मस्जिद जाना व्यक्ति के संस्कृति द्वारा ही निर्धारित होते हैं। संस्कृति किसी समाज के कई पीढ़ियों द्वारा निर्मित तत्त्व है। यह एक समाज के प्रत्येक अतीत, वर्तमान तथा भविष्य में दिखता है। समाज के कला, संगीत, साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, रीति-रिवाज, परंपरा संस्कृति के ही तत्त्व हैं। "संस्कृति प्रत्येक पीढ़ी में उत्पादित की जाती है" (हॉल)।

संस्कृति को अनेकों प्रकार से परिभाषित किया गया है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर संस्कृति अध्यात्मिक, भौतिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्वरूप का एक विशिष्ट मिश्रण है, जो किसी समाज या सामाजिक समूह की विशेषता को बताता है। यह न केवल कला तथा भाषा को सम्मिलित करती है, बल्कि जीवन जीने की पद्धति, मानव के मूलभूत अधिकार, मूल्य प्रणाली, परम्परा तथा विश्वास भी शामिल करती है । (World Conference on Cultural Policies in Mexico City 1982) लेकिन साधारण तौर पर यह मनुष्य के किसी समूह के मेल-जोल के व्यवहार को सीखने तथा साझा करने की तरह है। संस्कृति को मस्तिष्क की सामूहिक क्रिया से लिया जाता है, जो एक वर्ग के सदस्यों को दूसरे वर्ग के सदस्यों से अलग करती या पहचान बताती है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने रहन-सहन, आचार-विचार, जीवन पद्धति तथा जीवन खोज को लगातार परिष्कृत कर ऊपर उठता चला जाता है, जिससे इस प्रक्रिया में वह सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण करता है।

सभ्यता मनुष्य की भौतिक क्रिया है तथा संस्कृति मनुष्य की मानसिक क्रिया है। मनुष्य सिर्फ भौतिक क्रिया के साथ नहीं जीवित रह सकता। वह सिर्फ भोजन से शरीर की भूख मिटाकर, घर बनाकर तथा किसी समाज में प्रतिष्ठा पाकर जीवित नहीं रह सकता। उसे आत्मिक तथा मानसिक संतुष्टि की भी आवश्यकता होती है। अपनी आत्मा तथा मन को संतुष्ट करने के लिए किए गए सारे प्रयास संस्कृति है। यह मनुष्य के आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। एक संस्कृति के लोग प्रायः एक जाति या समूह के होते हैं। यह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक ही मूल्य व्यवस्था को जीते हैं।

भाषा और संस्कृति के बीच संबंध काफी गहरा है। संस्कृति यह बताती है कि मनुष्य एक-दूसरे से भिन्न है। भाषा दुनिया भर में फैले इस विभिन्नता को बनाए रखती है तथा संप्रेषित करती है। मनुष्य के सामाजिक जीवन की संस्कृति को गतिमान बनाए रखने का साधन भाषा है। इस साधन की आवश्यकता संस्कृति को सदैव रहती है। भाषा सदैव अपने साथ संस्कृति के अर्थ और संदर्भ को लेकर चलती है। किसी भी भाषा में उपयोगी शब्द, किसी समाज विशेष की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। शब्दों द्वारा मनुष्य की अभिव्यक्ति अन्य लोगों के सामने उसके समाज विशेष संस्कृति के अनुभव को दर्शाती है। जैसे मम्मी ने खाना खा लिया, मां ने खाना खा लिया, मांजी ने खाना खा लिया, माई खाना खा लेलस, माई खाना खा लेलीन, minha mãe tinha comida। ये सारे वाक्य एक ही बात को अभिव्यक्त कर रहें हैं, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति अपने संस्कृति विशेष की है। शब्दों द्वारा तथ्य, विचार तथा घटनाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। शब्द अपने लेखक की प्रवृत्ति तथा विश्वास को उसके दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्त करता है। यह अन्य के भी दृष्टिकोण, प्रवृत्ति तथा विश्वास को व्यक्त करता है। इन दोनों ही स्थिति में भाषा संस्कृति की विशेषता को अभिव्यक्त करती है। यह समाज में संस्कृति को बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अपने उपयोग द्वारा देती है। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह अन्य बच्चों जैसा नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपनी संस्कृति विशेष

भाषा से अपने आस-पास की चीजों तथा विचारों को सीखता है। बंगाली संस्कृति का बच्चा बंगला भाषा से, भोजपुरी संस्कृति का भोजपुरी तथा मराठी संस्कृति का मराठी भाषा से सीखेगा। उदाहरणार्थ हिंदी में गुरु शब्द का अर्थ अंधेरे को दूर करना होता है। गुरु शब्द का उपयोग शिक्षक को संबोधित करने या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं, जिसने किसी को कुछ विपरीत परिस्थितियों या अज्ञानता से उबारा हो। बनारस की भोजपुरी भाषा में गुरु शब्द का उपयोग किसी को सम्मान देने के लिए किया जाता है। यह भाषा द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति है।

मनुष्य द्वारा एक दूसरे से बात चीत जैसे फोन से या आमने सामने बात करना, पत्र लिखना या भेजना, मेल द्वारा संदेश भेजना, किसी समाचार को लिखना तथा पढ़ना एवं ग्राफ को समझाना आदि भी संस्कृति विशेष ही होती है। लिखने, पढ़ने या समझने के लिए ध्वनि उच्चारण, बात चीत के तरीके, मुखाभिव्यक्ति आदि आयामों में भी संस्कृति झलकती है। ऐसे में भाषा एक प्रतीक व्यवस्था है जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को साथ में लिए होती है। किसी भाषा का वक्ता अपने भाषा उपयोग द्वारा ही संस्कृति की पहचान बताता है। किसी भाषा का उसके उपयोगकर्ता द्वारा भाषा निषेध अपने सामाजिक समूह तथा उसकी संस्कृति को अस्वीकार करना है। इसलिए भाषा को संस्कृति का मूर्त रूप माना जाता है। यह संस्कृति को बनाए रखती है तथा भाषा द्वारा संस्कृति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस बात की पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि किसी चीज को सीखने तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने को संस्कृति कहते हैं। यह आमने-सामने की बात चीत तथा भाषिक संवाद द्वारा संप्रेषित होती है। संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जो मानवीय क्रियाओं द्वारा सीखी या प्रसारित होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यह स्थानांतरित की जाती है। यह संरक्षण, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, साहित्य इत्यादि का माध्यम होती है। लेकिन भाषा इन सब में शक्तिशाली माध्यम है। किसी भाषा का उपयोग बंद करने पर उस संस्कृति के सभी दस्तावेज़ को खत्म कर देने के समान है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा संस्कृति के प्रसारण या उसकी सुरक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्यादातर भारतीय घरों में घरेलू देवताओं की पूजा, शादी तथा मुंडन आदि संस्कार में विभिन्न प्रकार के नियम, रीति-रिवाज, परम्परा, संस्कार किए जाते हैं। जिसे घरों में किसी दस्तावेज में लिख कर नहीं रखा जाता। बल्कि परिवार के लोग आपस में बात चीत, गीतों तथा लोककथाओं के माध्यम से इसे स्थानांतरित करते हैं। इसमें भाषा का इस्तेमाल होता है। इसलिए आज भी देवी, विवाह, मुंडन आदि के गीत, भैया दूज की कहानियां, रामायण, महाभारत, बाइबिल तथा कुरान के संदेश हमारे बीच उपस्थित हैं।

आज बहुत सी भाषाएं विलुप्ति की सूची में हैं। "इसकी सही गणना बताना बहुत कठिन है" (लेविस, 2009)। भाषा मृत या लुप्त होने पर "हम जो खोते हैं वह अनिवार्य रूप से एक विशाल सांस्कृतिक विरासत होती है" (हागेग, 2009)। क्योंकि भाषा एक माध्यम होता है, जिसमें समाज अपने हास्य, प्रेम तथा जीवन को व्यक्त करते हैं। यह मानव समुदायों का प्रमाणक है, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भाषा वही व्यक्त करती है, जो हमारा समुदाय तथा अन्य समुदाय व्यक्त करने को सक्षम हैं। इस प्रकार भाषा शब्दों का भंडार नहीं होती है। इसमें कहानी, कविता, लोकगीत, कला, सांस्कृतिक विरासत आदि के दस्तावेज़ संरक्षित होते हैं। मानव के इतिहास, परंपरा, जीवन शैली, खोज, ज्ञान आदि भाषा के द्वारा ही अब तक संरक्षित हैं। भाषा के माध्यम से ही हमारे बीच आल्हा-उदल की कहानी, सिकंदर का विश्व विजय, अशोक की जीवन गाथा, गौतमबुद्ध के उपदेश, कालिदास का ऋतु वर्णन, खेतो-खलिहानों के गीत तथा विश्व की तमाम कहानियां जीवित रहती हैं। विभिन्न भाषाओं में लिखे गए ढ़ेरों

ज्ञान आज पुस्तकालयों में भाषा के लिखित रूप द्वारा जीवित हैं। हमारे बीते कल की भूले वर्तमान के सुधार तथा भविष्य को तय करने वाले सारे क्रिया कलाप भाषा द्वारा ही तय होते हैं। भाषा संस्कृति को प्रसारित करके गतिमान रखती है। इसलिए भाषा संस्कृति के संरक्षण तथा उसके ऐतिहासिक स्थानांतरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संदर्भ-ग्रंथ

1. अय्यर, विश्वनाथ, एन., ई. (1992). अनुवाद भाषा और समस्या. दिल्ली : ज्ञान गंगा.
2. गर्गेश, रविन्द्र एवं गोस्वामी, कुमार, कृष्ण (2007). अनुवाद एवं भाषांतरण. दिल्ली : ओरिएण्टल लॉन्गमैन.
3. गोपीनाथ, जी. (2004). अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन.
4. गोस्वामी, कुमार, कृष्ण. (2008). अनुवाद विज्ञान की भूमिका. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
5. तिवारी, भोलानाथ. (1972). अनुवाद विज्ञान. नई दिल्ली : आकार प्रकाशन.
6. दिनकर, सिंह, रामधारी. (2008). संस्कृति, भाषा और राष्ट्र. नई दिल्ली : लोकभारती प्रकाशन.
7. दूबे, श्यामाचरण, (2016). मानव और संस्कृति. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
8. धवन, मधु. (2010). विज्ञापन कला. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
9. नगेन्द्र (सं.). (1993). अनुवाद विज्ञान. नई दिल्ली : हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय.
10. नवीन, देवशंकर (2016). अनुवाद अध्ययन का परिदृश. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय.
11. पाण्डेय, कैलाशनाथ. (2012). भाषा विज्ञान रसायन. इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन.
12. पालीवाल, रीतारानी. (2007). अनुवाद प्रक्रिया एवं परिदृश्य. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
13. माथुर, गिरिजाकुमार. (n.d.). हम होंगे कामयाब. कविता कोश. Retrieved from http:// kavitakosh. org/kk/हम_होंगे_कामयाब_/_गिरिजाकुमार_माथुर.
14. रजसुभे, सूर्यनारायण. (2009). अनुवाद का समाजशास्त्र. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
15. शर्मा, कुमुद (2010). विज्ञापन की दुनिया. नई दिल्ली : प्रतिभा प्रतिष्ठान.
16. शर्मा, रामविलास (2017). भाषा और समाज. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
17. शर्मा, सोहन (1995). भाषा, संस्कृति एवं समाज. दिल्ली : अभिकथन पब्लिकेशन.
18. सिंह, श्रीकांत. (2001). सम्प्रेष्ण : प्रतिरूप एवं सिद्धांत. फैजाबाद : भारती प्रकाशन.
19. सिंहल, सुरेश. (1999). अलंकार, प्रतीक एवं बिम्बानुवाद. गुप्ता, नी. (सं.). अनुवाद (पृ. 193-211). नई दिल्ली : भारतीय अनुवाद परिषद.
20. सुमित, मोहन (2017). हिंदी विज्ञापन : संचार और प्रभाव. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
21. सेट्ठी, रेखा (2016). विज्ञापन : भाषा और संरचना. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
22. सौरभ, प्रदीप एवं मानुषी (2014). भारत में विज्ञापन. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास.

23. श्रीवास्तव, रविन्द्र. (1993). प्रतीक सिद्धांत और अनुवाद. नगेन्द्र (सं). अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और अनुप्रयोग (पृ. 36-46). दिल्ली : हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय.
24. हींगड, आशा., जैन, मधु. एवं पारीक, सुशील. (2009). संचार के सिद्धांत. जयपुर : राजस्थान ग्रंथ अकादमी.
25. Abell, C., J. (31 August 2010). Aug. 31, 1920: News Radio Makes News. Wired. Retrieved from https://www.wired.com/2010/08/0831first-radio-news-broadcast/.
26. Abel, E., Macbride, S. & International Commission for the Study of Communication Problems (1984). Many voices, one world: The MacBride report. Paris: UNESCO